[श्री हुकमदेव नारायण यादव]

की उपधारा (3) के अधीन नागर विमानन मंत्रालय को निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक प्रति (अंग्रेजी तथा हिन्दी में) सभा पटल पर रखता हूं :-

(i) वायुयान (पहला संशोधन) नियम, 1991 को प्रकाशित करने वाली सा०का०नि० सं० 6(अ), दिनांक 3 जनवरी 1991, उस पर व्याख्यात्मक ज्ञापन सहित ।

(ii) वायुयान (दूसरा संशोधन) नियम, 1991 को प्रकाशित करने वाली सा० का०नि सं 58(क) दिनांक 7 फरवरी 1991, उस पर व्याख्यात्मक ज्ञापन सहित । [पुस्तकालय में रखी गई । (i) और (ii) के लिए देखिए संख्या एल०टी० 2195/91]

SHRI P. SHIV SHANKER (Gujarat): The best thing would be, we lay Mr. Yadav on the Table.

THE DEPUTY CHAIRMAN: Our Table is too small for that.

I. Report and Accounts (1989-90) of the Container Corporation of India Limited, New Delhi and related papers.

II. Railways Red Tariff (Amendment) Rules, 1990 and 1991

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF RAILWAYS (SHRI BHAKTA CHARAN DAS): Madam, I lay on the Table a copy each (in English and Hindi) of the following papers under sub-section (1) of section 619A of the Companies Act, 1956:—

I. (i) Second Annual Report and Accounts of the Container Corporation of India Limited, New Delhi, for the year 1989-90, together with the Auditors' Report on the Accounts and the comments of the Comptroller and Auditor General of India thereon.

(ii) Review by Government on the working of the Corporation.

[Placed in Library. *See* No. LT—2197/91 for (i) and (ii)]

II. A copy each (in English and Hindi) of the following Notifications of the Ministry of Railways, under section 199 of the Railways Act, 1989:—

(i) G.S.R. No. 947(E), dated the 14th December, 1990, publishing the Railways Red Tariff (Amendment) Rules, 1990.

(ii) G.S.R. No. 14(E), dated the 8th January, 1991, publishing the Railways Red Tariff (Amendment) Rules, 1991. [Placed in Library. *See* No. LT—2196/91 for (i) and (ii)]

I. Report and Accounts (1989-90) of the State Farms Corporation of India, New Delhi and related papers.

II. Report and Accounts (1989-90) of the Maharashtra Agro-Industries Development Corporation Limited and related Papers.

III. Report and Accounts (1989-90) of the National Seeds Corporation Limited, New Delhi and redated Papers.

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री शांतिलाल पुरुषोत्तमदास पटेल) : महोदया, मैं श्री जयन्तीलाल वीरचन्दभाई शाह की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:—

कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (अंग्रेजी तथा हिन्दी में):—

I. (क) 1989-90 के वर्ष के लिये स्टेट फार्म कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली का इक्कीसवां वार्षिक प्रतिवेदन और लेखे, लेखाओं पर लेखापरीक्षकों का प्रतिवेदन तथा उस पर भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियों सहित ।

(ख) कारपोरेशन के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा । [पुस्तकालय में रखी गई । (क) और (ख) के लिये देखिए संख्या एल०टी० 2226/91]

II. (क) 1989-90 के वर्ष के लिये महाराष्ट्र एग्रो इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट कार-

कारपोरेशन लिमिटेड, मुम्बई का चौबीसवां वार्षिक प्रतिवेदन और लेखे, लेखाओं पर लेखापरीक्षकों का प्रतिवेदन तथा उस पर भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियों सहित।

(ख) कारपोरेशन के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा। [पुस्तकालय में रखी गई (क) और (ख) के लिये देखिये संख्या एल०टी० 2228/91]

III (क) 1989-90 के वर्ष के लिये नेशनल सीड्स कारपोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली का सत्ताईसवां वार्षिक प्रतिवेदन और लेखे, लेखाओं पर लेखापरीक्षकों के प्रतिवेदन तथा उस पर भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियों सहित।

(ख) निगम के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(ग) उपर्युक्त पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुये विलंब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण (अंग्रेजी तथा हिन्दी में) [पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल०टी० 2227/91]

I. Report and Accounts (1989-90) of the National Cooperative Development Corporation, New Delhi and related Papers.

II. Notification of the Ministry of Agriculture (Deptt. of Agriculture and Cooperation).

श्री शांतिलाल पुरुषोत्तमदास पटेल : महोदया, मैं निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (अंग्रेजी तथा हिन्दी में) भी सभा पटल पर रखता हूं:—

I. (i) राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम अधिनियम, 1962 की धारा 14 की उपधारा (3) के अधीन 1989-90 के वर्ष के लिये राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम, नई दिल्ली का वार्षिक प्रतिवेदन।

(ii) उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (4) के अधीन 1989-90 के वर्ष के लिये राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम, नई दिल्ली के वार्षिक लेखे और उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(iii) निगम के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(iv) ऊपर (i) और (ii) उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुये विलंब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण [पुस्तकालय में रखी गई (i) (iv) के लिये देखिये संख्या एल०टी० 2229/91]

II. आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 की उपधारा (6) के अधीन अधिसूचना सा०का०नि० सं० 78(अ), दिनांक 30 जनवरी, 1986 से संबद्ध अनुसूची का संशोधन करने वाली कृषि मंत्रालय (कृषि और सहकारिता विभाग) की अधिसूचना का०आ०सं० 113(अ) दिनांक 19 फरवरी, 1991 की एक प्रति (अंग्रेजी तथा हिन्दी में)। [पुस्तकालय में रखी गई देखिये संख्या एल० टी० 2244/91]

Report of the Comptroller and Auditor General of India—Union Government—relating to National Thermal Power Corporation Ltd.

उर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बाबनराव धाकने) : महोदया, मैं संविधान के अनुच्छेद 151 के खंड (1) के अधीन नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन लिमिटेड के संबंध में भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक—संघ सरकार (1990 का संख्यांक 4) (वाणिज्यिक) की एक प्रति (अंग्रेजी तथा हिन्दी में)। सभा पटल पर रखता हूं। [पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल०टी० 2246/91]